THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SMT. MARGARET ALVA) : (a) The clarification contained in Department of Personnel and Administrative Reforms UO No. D-207/74-Estt. (A) dated 15th January, 1974 provides that a Government servant can be permitted to enrol himself as an Advocate but should not engage himself in legal profession, so long as he continues in Government service.

(b) Information in this regard is not centrally monitored.

(c) and (d) The clarification issued in 1974 has a limited relevance in the context of the CCS (Conduct) Rules while enrolment with the Bar Council is decided according to the rules framed by the Bar Council in this regard. As these are separate issues, no steps are considered necessary for resolving the matter.

लघु उद्योगों के लिए आरक्षित क्षेत्रों में उद्योग स्थापित किया जाना

320. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**
डा. जितेन्द्र कुमार जैन

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अभी हाल ही में बड़े उद्योगों को पिछड़े क्षेत्रों में उन वस्तुओं के निर्माण हेतु उद्योग स्थापित करने की अनुमति दे दी है जो अभी तक लघु उद्योगों के लिए ही आरक्षित थी,

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें इस प्रयोजनार्थ कर में रियायत देने की भी घोषणा की गयी है, और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने ऐसे क्षेत्रों में लघु उद्योगों का मुकाबला करने में समर्थ बनाने के लिए उन्हें क्या विशेष सुविधाएं और रियायतें देने की घोषणा की है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम)

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) 1 अप्रैल, 1993 के बाद पिछड़े राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों जहां सभी जिले औद्योगिक रूप से पिछड़े हैं) में स्थापित नये औद्योगिक उपक्रमों, जो 1993-94 के बजट में घोषित पंचवर्षीय नए अवकाश योजना का लाभ उठा रहे हैं, को ऐसी मदों के निर्माण की अनुमति दे दी गई है, जो आय कर अधिनियम, 1961 की 11 वीं अनुसूची के अधीन पहले लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित थीं । पिछड़े राज्यों में स्थापित नये औद्योगक उपक्रमों को पंचवर्षीय कर अवकाश योजना के अधीन मिलने वाली रियायतें सभी नए औद्योगिक उपक्रमों के लिए भी उपलब्ध हैं ।

(ग) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 के अधीन लघु उद्योगों के लिए किया गया आरक्षण वैसा ही रहेगा । अपेक्षित निर्यात दायित्व को छोड़कर कोई बड़ा अथवा मझौला निर्यातोन्मुख उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों का निर्माण नहीं कर सकता है । चूंकि उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की शर्तों के अनुसार लघु क्षेत्र में मदों के आरक्षण की मौजूदा नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए लघु क्षेत्र पूरी तरह से सुरक्षित है ।

3025. (*Transferred to 20 December, 1993*)

VIOLATION OF CONVENTIONS BY HEALTH MINISTRY

3026. **SHRI MENTAY PADMANABHAM** : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Cabinet Secretary has received representations on the functioning of Health Ministry with specific mention of violation of conventions;

(b) if so, what action has been initiated to review this matter;